न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा
गृह नियंत्रण अपिल वाद सं0 32/2015
कुमार कपलेश्वर सिंह बनाम बिहार सरकार

आदेश की कम संख्या और तारिख :	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारिख सहित
12/03/15	आदेश	

आदेश

आवेदक की ओर से हाजरी अप्राप्त। बाद मे प्राप्त।

पुकार पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता अपस्थित आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को सुना।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि इस न्यायालय द्वारा गृह नियंत्रण अपील वाद सं0– 01/02–03 में पारित आदेश के अनुपालन में अनुमंडल पदाधिकारी सदर, दरभंगा के नजारत में जमा नही रहने के कारण मकान मालिक कुमार कपिलेश्वर सिंह को स्वच्छ मासिक किराया का भुगतान नही किया गया है, जिस कारण प्रश्नगत मकान का अनुमंडल पदाधिकारी सदर, दरभंगा को किराया मद में प्राप्त राशि आवेदक को भुगतान करने से संवंधित वाद आवेदन दाखिल किया गया है।

विद्वान सरकरी अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक के द्वारा किस धारा के अन्तर्गत वाद आवेदन दाखिल किया गया है, यह आवेदन में स्पष्ट नहीं किया गया है। गृह नियंत्रण अपील वाद सं0–01/02–03 में इस न्यायालय द्वारा पूर्व में ही आदेश पारित किया जा चुका है। आवेदक का मामला इस न्यायालय मे विचारण योग्य नहीं है अतः आवेदक द्वारा दाखिल आवेदन खारिज योग्य है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को सुनने एवं वाद आवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 17.12.02 को अपील वाद सं0–01/02–03 में स्पष्ट आदेश पारित किया जा चुका है जिसका अनुपालन संबंधित पक्षकारों के द्वारा किया जाना है। इस स्तर से वर्त्तमान में किसी प्रकार की कारवाई किया जाना अपेक्षित प्रतीत नही होता है।

अतएव वाद आवेदन खारिज करते हुए निर्देश दिया जाता है कि आवेदक यदि चाहें तो सक्षम न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रख सकते है।

उपरोक्त विवेचना के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

12/3/15

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा।